कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–34 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01 थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. छोटू वर्मा पुत्र काशीराम नि0 किन्नू बरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–232/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रंजीत यादव पुत्र कृष्ण कुमार नि0 दुर्गागंज माझा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 21 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–454/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. छट्ठीराम पुत्र बावनराम नि0 अढमलपुर बेलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–340/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. गगन लोनिया पुत्र जगदेव लोनिया नि0 रायपुर माझा टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–341/20, 02. मेही लाल पुत्र सुन्दर नि0 रायपुर माझा टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–342/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जालसाजी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। गुरूवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त पुनीत कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रभाकर श्रीवास्तव नि0 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–852/20, धारा 419.420.467.468.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादिनी रेखा श्रीवास्तव पत्नी दीपू श्रीवास्तव नि0 सोनी गुमटी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के लड़के को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर रू0 80,000/– ठग लिये थे तथा वादिनी द्वारा पैसे वापस मांगने पर अपशब्दो का प्रयोग करते हुए तरह–तरह की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना को0 नगर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध

अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त पुनीत कुमार श्रीवास्तव जनपद गोण्डा के कई लोगो से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसी की ठगी की गयी है। जिसमें को0 नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार का माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप में 02 अभियुक्तों– 01. विनोद पुत्र सम्पूर्णानंद, 02. सम्पूर्णानन्द पुत्र हरीशंकर पाण्डेय निवासीगण सूबेदारपुरवा मौजा रामगढ़ थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु0अ0सं0–287/20, धारा 498ए, 323.306 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 04.11.2020 को वादी जगदीश प्रसाद पुत्र महादेव नि0 ग्राम सनदरियन पुरवा मौजा भदैंया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा की पुत्री रेनू को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी की पुत्री प्रताड़ना से तंग आकर फॉसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेसनोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 05.11.2020

अपराधिक षणयंत्र के तहत अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले 06 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. श्रीमती रजकला पत्नी रामनेगे नि0 भुलभुलिया मौजा टेढी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. सुमन पुत्री रामनेगे नि0 भुलभुलिया मौजा टेढी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. रानी पुत्री रामनेगे नि0 भुलभुलिया मौजा टेढी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
04. सूर्यलाल पुत्र रामनेगे नि0 भुलभुलिया मौजा टेढी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
05. श्याम माली पुत्र रमेश नि0 अदिलपुर थाना हुजुरपुर जनपद बहराइच।
06. शैलेन्द्र पुत्र शिव कुमार नि0 टेढी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–252/20, धारा 363.366.388.389.120बी भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.10.2020 को वादिनी श्रीमती रजकला पत्नी रामनेगे नि0 भुलभुलिया मौजा टेढी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के द्वारा थाना कटराबाजार में विपक्षी रामअवतार पुत्र रेंगू नि0 भुलभुलिया मौजा टेडी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के विरूद्ध अपनी दो लड़कियों को असनाई की नियत से भगा ले जाने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें विवेचना व

इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो के आधार पर ज्ञात हुआ कि वादिनी अपने परिजन व बहराइच के श्याम माली के साथ मिलकर अपराधिक षणयंत्र रचते हुए विपक्षी रामअवतार के विरूद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा वादिनी ने अपने परिजन व बहराइच के श्याम माली के साथ मिलकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है। विवेचना के आधार पर दोषी पाये गये उक्त आरोपी अभियुक्तो को कटराबाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. सन्तोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार।
02. उ0नि0 वसी अहमद।
03. का0 प्रदीप तिवारी।
04. का0 राहुल कुमार निषाद।
05. का0 सुरेश यादव।
06. का0 नीरज सिंह।
07. का0 दिनेश चौहान।